फर्द अहकाम

नियम ( 26 )

## अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

**वादी/प्रार्थी-** श्रीमति लीला देवी उर्फ लीलू पत्नी स्वर्गीय हरजी राव पु० जागत सिंह राव 3776 नि० बोरली तह० चितलवाना

**बनाम**

**प्रतिवादी/अप्रार्थी-** राम सिंह पुत्र हिम्मत सिंह राव नि० दूधवियों का वास खोराडाला भीनमाल वगैरा

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प्रार्थना पत्र नंबर- 05 /2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई |
|---|---|---|
| 6.3.19 | वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नाथूराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए......................तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 9-4-2019 को पेश हो । [signature] सहायक कलेक्टर, भीनमाल | |
| 9/4/19 | पक्षकारान वकील हाजिर। आज लोकसभा चुनाव कार्यों में [illegible] होने से अतः मिसल दिनांक 27.5.19 को पेश हो। | |
| 27/5/19 | पक्षकारान वकील हाजिर। आज अधिवक्ता बाहर होने पर स्थगन [illegible] मिसल दिनांक 25.6.19 को पेश हो। | |
| 25/6/19 | पक्षकारान वकील हाजिर। प्रतिवादी की ओर से undertaking दी गई। [illegible] व जवाब हेतु अवसर चाहने पर अवसर दिया जाता। मिसल दिनांक 25.7.19 को पेश हो। [signature] | Undertaking by NA-1 & 2 [signature] |

Scanned by CamScanner

25.7.19 वकुलाय फरीकेन उपस्थित।
अप्रार्थी जवाब वकालतनामा हेतु
अवसर चाहते है अवसर दिया
जाता है मिसल तारीख 21.8.19
को पेश हो। [signature]

21.8.19 वकुलाय फरीकेन हाजिर।
अप्रार्थी जवाब हेतु अवसर चाहते
है अवसर दिया जाता है मिसल
तारीख 27.8.19 को पेश हो। [signature]

27.8.19 वकुलाय फरीकेन उपस्थित।
अप्रार्थीगण की ओर से पर्याप्त अवसर
के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही
हुआ। अतः एव अप्रार्थी का जवाब बन्द
किया जाता है। हमने दोनो पक्षो की बहस
सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे अवगत
कराया कि न्यायालय हाजा के समक्ष वाद
ग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे हक की घोषणा
एवम स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लम्बित है
जिसमे तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्यो
के आधार पर निर्णय सम्भव होगा। मूल
वाद के निस्तारण मे समय लगेगा ऐसी
स्थिति मे वादग्रस्त आराजी की मौके एवं
रेकार्ड की स्थिति को ताफैसला वाद यथावत
रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करमाई
जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मामले
मे प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो की पुष्टि करते
हुए ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी की
मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत
बनाई रखी जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा
सादीर की जाने की सहमति पेश की।
दोनो पक्षो की सुनने एवं प्रकरण का अवलोकन
करने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला
वाद इस प्रकार की सादीर की जाती है कि
सरहद मौजा भीनमाल B के वाद ग्रस्त आराजी
पुराने खसरा 1201 जिसके नवीन खसरा. 2017 व
2006/7095 की दोनो पक्षकारान मौके

[signature]
सहायक कलेक्टर, भीनमाल

Scanned by CamScanner

लीलादेवी उर्फ लीलू बनाम रामसिंह / हिम्मत सिंह

किस्म मुकदमा T I प्रकरण संख्या 5/2019/

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखेंगे। निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। मिसल शुमार कैफियत होकर नम्बर से कम हो व मूल वाद के साथ नत्थी हो।<br><br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर, भीनमाल | |

Scanned by CamScanner